

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2021/ 65

कांकेर, दिनांक/ 6/1/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर, अटल नगर।

**विषय :-** Diversion of forest land for non-purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Chhotedonager Iron Ore Mines M/s Shri Bajrang Power & Ispat Ltd. have been granted with mining lease for Iron ore over an Area- 66.020 ha. reagarding . Online Registration No. FP/CG/MIN/11479/2015

**संदर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-230/2239 दिनांक 09.12.2020

---:☒:---


विषयांतर्गत निवेदन है कि मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा नारायणपुर वनमंडल के ग्राम छोटेडोंगर (छोटेडोंगर आयरन ओर माईनिंग) जिला नारायणपुर में प्रस्तावित लीज एरिया 57.00 हे. तथा पहुँच मार्ग 9.02 हे. कुल रकबा 66.020 हे. वन भूमि में खनिपट्टा के लिए प्रेषित प्रस्ताव में छ.ग.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 5-18/2020/10-2 दिनांक 26.11.2020 द्वारा 03 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। तदानुसार वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./28 दिनांक 04.01.2020 द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, उनके प्रतिवेदन अनुसार अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु	विवरण	
1.	प्रस्ताव में प्रदायित समस्त ऐसे दस्तावेज/प्रमाण पत्र जिसमें केवल आवेदक संस्थान के हस्ताक्षर है उनमें वनमंडलाधिकारी ,मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर प्रदाय करें। यदि असहमत या अतिरिक्त जानकारी दी जानी है तो संबंधित अधिकारी अपनी विशेष टीप दर्ज करें।	प्रस्ताव में प्रदायित समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक संस्थान का हस्ताक्षर है उनमें वनमंडलाधिकारी द्वारा अनुमोदन कर हस्ताक्षर किया गया है। वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन सहमत होते हुए प्रकरण के अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।
2.	DGPS Survey Report में वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर करने के पहले निम्न दिशा निर्देश का पालन करना होगा :- (a) वनमंडलाधिकारी द्वारा 2% मुनारो को Physically Scrutiny करेंगे तथा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उन मुनारों की क्रम संख्या का विवरण दर्ज करेंगे, जिनका Physically Scrutiny किया गया है। यह भी वनमंडलाधिकारी टीप करेंगे कि उक्त Physically Scrutiny किये गये मुनारे के अक्षांश एवं देशांश सही अथवा गलत। यदि गलत हो तो सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।	— वनमंडलाधिकारी नारायणपुर के द्वारा कुल रकबा 66.020 हे. का डी.जी.पी.एस. सर्वे से प्राप्त कुल 256 पाईन्ट में से 5 पाईन्ट (2%) मुनारों का Physically Scrutiny किया गया। निरीक्षित डी.जी.पी.एस.सर्वे पाईन्ट के अनुसार मौके पर मुनारा स्थापित किया गया है, जिसमें back/forward बियरिंग अनुसार मुनारों में क्रम संख्या तथा अक्षांश व देशांश का रीडिंग अंकित है, जो कि सही है। वनमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये गये डी.जी.पी.एस.सर्वे पाईन्ट का स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न)

बिन्दु	विवरण
<p>(b) उप वनमंडलाधिकारी द्वारा 10% मुनारों का परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा 30% मुनारों एवं Beatguard/Forester द्वारा 100% मुनारों का Physically Scrutiny किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी अधिकारी Physically Scrutiny के पश्चात तत्संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रदाय कर DGPS Survey के Report में अनिवार्य रूप से उल्लेखित करेंगे।</p>	<p>उप वनमंडलाधिकारी के द्वारा कुल रकबा 66.020 हे. का डी.जी.पी.एस.सर्वे से प्राप्त कुल 256 पाईन्ट में से 26 पाईन्ट (10%) मुनारों का Physically Scrutiny किया गया। निरीक्षित डी.जी.पी.एस.सर्वे पाईन्ट के अनुसार मौके पर मुनारा स्थापित किया गया है, जिसमें back/forward बियरिंग अनुसार मुनारों में क्रम संख्या तथा अक्षांश व देशांश का रीडिंग अंकित है, जो कि सही है। (निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न)</p> <p>परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा कुल रकबा 66.020 हे. का डी.जी.पी.एस.सर्वे से प्राप्त कुल 256 पाईन्ट में से 75 पाईन्ट (30%) मुनारों का Physically Scrutiny किया गया। निरीक्षित डी.जी.पी.एस.सर्वे पाईन्ट के अनुसार मौके पर मुनारा स्थापित किया गया है, जिसमें back/forward बियरिंग अनुसार मुनारों में क्रम संख्या तथा अक्षांश व देशांश का रीडिंग अंकित है, जो कि सही है। (निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न)</p> <p>वनरक्षक/वनपाल के द्वारा कुल रकबा 66.020 हे. का डी.जी.पी.एस.सर्वे से प्राप्त कुल 256 पाईन्ट में से 256 पाईन्ट (100%) मुनारों का Physically Scrutiny किया गया। निरीक्षित डी.जी.पी.एस.सर्वे पाईन्ट के अनुसार मौके पर मुनारा स्थापित किया गया है, जिसमें back/forward बियरिंग अनुसार मुनारों में क्रम संख्या तथा अक्षांश व देशांश का रीडिंग अंकित है, जो कि सही है। (निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न)</p>
<p>(c) उपरोक्त DGPS Survey Report में वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, Beatguard/Forester के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।</p>	<p>वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी, वनरक्षक/वनपाल के संयुक्त हस्ताक्षरित डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट संलग्न है।</p>
<p>3. विषयांकित प्रस्ताव में विभिन्न चेक लिस्ट क्रमांक के सांपेक्ष में प्रदायित वनमंडलाधिकारी के वचन पत्र/प्रमाण पत्रों में दर्ज विवरण तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के द्वारा प्रदायित संदर्भित पत्र में बिन्दुवार विवरण में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। अतः प्रस्ताव के विभिन्न चेक लिस्ट क्रमांकों में आवेदक संस्थान/वनमंडलाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक/कलेक्टर /अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)/प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिये गये वचन पत्र /प्रमाण पत्रों के Matter को अक्षरंशः संदर्भित पत्र में प्रदायित बिन्दुवार विवरण में दर्ज करते हुए संदर्भित को संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।</p>	<p>प्रस्ताव में विभिन्न चेक लिस्ट में अंकित क्रमांक के अनुसार वनमंडलाधिकारी के वचन पत्र/प्रमाण पत्रों में दर्ज क्रमांक का मिलान किया गया है। चेकलिस्ट में क्रमांकित पृष्ठ संख्या के अनुसार ही वचन/प्रमाण पत्रों में पृष्ठ क्रमांक अंकित किये गये हैं।</p>

अतः प्रकरण में चाही गई अतिरिक्त जानकारी अनुशांसा मय आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव एवं प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट सहित 04-04 प्रतियों में।


  
मुख्य वन संरक्षक  
कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक/6/1/2021

पृ.क्रमांक/मा.चि./2021/66

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी नारायणपुर वनमंडल को उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./28 दिनांक 04.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड़ रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
मुख्य वन संरक्षक  
कांकेर वृत्त, कांकेर